# न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी- सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | फैसल दिनांक |
|---|---|---|
| 188/2021 | 07.09.2021 | 18.11.2021 |

**अनवान**

पुष्पा देवी पत्नि प्रकाश चन्द्र जाति चौधरी उम्र वयस्क निवासी आदर्श कॉलोनी बडीसादड़ी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।
.........वादीया

।। बनाम।।

1. मंगना पिता प्रथा (परथु) जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सोहनखेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.........प्रतिवादीगण

**वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188राज.काश्त. अधिनियम**

उपस्थित-श्री मदनलाल खटीक वकील वादीया

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने अंतर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा0दी0 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके मौजा ग्राम भादसोडा पटवार हल्का भादसोडा में साबिक आराजी नम्बर 3081/3 रकबा 2 बीघा भूमि जिसके भू-प्रबंध हो जाने से हाल आराजी नम्बर 3935 रकबा 0.43 हैक्टेयर जो खातेदार मंगना पिता परथु जाट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 आधार वर्ष एवं मिलान क्षैत्रफल संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादिया द्वारा दिनांक 25.05.2007 को प्रतिवादी संख्या 01 से ग्राम सोहनखेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 409/4 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एवं ग्राम भादसोडा के आराजी नम्बर 3081/13 रकबा 2 बीघा कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की, लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा ग्राम सोहनखेडा की कृषि भूमि का इंतकाल वादिया के नाम पर भर दिया लेकिन भादसोडा के आराजी नम्बर 3081/13 का इंतकाल वादिया के नाम नहीं

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

खोला। जिससे उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 के नाम ही चली आ रही है और कब्जा वादिया का चला आ रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति संलग्न है।

यह कि वादिया खरीद दिनांक से उक्त कृषि भूमि पर खरीद दिनांक से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। इसलिये वादिया द्वारा यह वाद पत्र खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है।

यह कि वादिया के नाम आराजी नम्बर 3081/13 रकबा 2 बीघा वर्तमान आराजी नम्बर 3935 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि हाल आराजी नम्बर 3935 में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना स्वयं करे ना किसी अन्य दिगर व्यक्ति से करावे।

यह कि बिनाय दावा दिनांक 29.07.2021 से शुरू होती है जबकि राजस्व रेकार्ड में वादिया का नाम नहीं होने का पता चला जो प्रतिदिन हो रही है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र की में वर्णित ग्राम भादसोडा के आराजी नम्बर 3935 रकबा 0.43 हैक्टेयर कृषि भूमि को वादिया को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादिया के नाम दर्ज किये जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमया जावे कि आराजी नम्बर 3935 रकबा 0.43 हैक्टेयर में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना स्वयं करे ना किसी अन्य दिगर व्यक्ति से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीको जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से बिंदुवार तनकीयात कायम नहीं की गई।

वाद के समर्थन में वादीया द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर किए गये।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

1. नकल जमाबन्दी मौजा भादसोडा आ.नं. 3081/13 संवत् 2041-2044
2. नकल जमाबन्दी मौजा भादसोडा आ.नं. 3935 संवत् 2068
3. मिलान क्षैत्रफल मौजा भादसोडा
4. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2007 की सत्यापित फोटो प्रति दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते वाद में प्रस्तुत

लायक अधिवक्ता वादीया की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद का निस्तारण पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 किये जाने की इस्तदुआ की।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादीया की बहस पर, वादीया के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से न्यायालय सहमत है, वकील वादीया के कथन से सहमत है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन,प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2007 के आधार वाद वादीया निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम भादसोडा पटवार हल्का भादसोडा तहसील भदेसर के आराजी नम्बर 3935 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि जो कि वादिया ने दिनांक 25.05.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 01 मंगना पिता प्रथा जाट से खरीदी है, के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 मंगना पिता प्रथा(परथु) जाट निवासी सोहनखेडा का नाम विलोपित किया जाकर वाद वर्णित ग्राम भादसोडा की आराजीयात वादीया के नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner